सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

2 ज्येष्ठ, 1933 शकाब्द

संख्या 325

राँची, सोमवार 23 मई, 2011

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

9 मई, 2011

संख्या एल०जी०–01/2011–60/लेज०, झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल दिनांक 5 मई, 2011 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

[झारखण्ड अधिनियम 07, 2011]

झारखंड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011

झारखण्ड राज्य में झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 में संशोधन करने हेतु अधिनियम ।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ –**

   i) यह अधिनियम झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम 2011 कहा जा सकेगा ।

ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

iii) यह झारखंड राज्य गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत माना जायेगा।

2. **झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–2 की उपधारा 2(छ) का प्रतिस्थापन –**

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा – 2 की उपधारा 2(छ) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित की जायेगी ।

"निजी या वैयक्तिक वाहन से अभिप्रेत वैसे सभी मोटरवाहन (मोपेड, स्कुटर, मोटरसाइकिल इत्यादि) मोटरकार, ओमनी बस या स्टेशन वैगन (4 सीट से 10 सीट बैठने की क्षमता का ड्राइवर सहित) जिनका केवल निजी कार्यों में प्रयोग किया जाता है ।"

3. **झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा 5 का संशोधन –**

(क) झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–5 की उपधारा–3 का प्रतिस्थापन –

झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–5 की उपधारा – 3 को परन्तुक सहित निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

"इन प्रावधानों के तहत राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से समय–समय पर अनुसूची में वर्णित कर प्रावधानों में वृद्धि कर सकेगी ।"

(ख) झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–5 में नयी उपधारा–5(4) का अंतःस्थापन –

झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–5 की उपधारा–5(3) के पश्चात् नयी उपधारा 5(4) निम्नलिखित रूप से अंतःस्थापित की जायेगी –

"5(4) – किसी भी वाहन पर लगने वाला कर, फिटनेश एवं वैध परमिट नहीं रहने की अवस्था में डिफॉल्ट की तिथि से अर्थदण्ड सहित उसी दर से देय होगा जैसा कि वैध फिटनेश एवं परमिट रहने पर देय होता ।"

4. **झारखण्ड मोटर करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा 7 की अनुसूची का प्रतिस्थापन–** झारखण्ड मोटर करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–7 की उपधारा(1) के अन्तर्गत अनुसूची –I 'क' को प्रस्तुत अनुसूची–I 'क' से प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

5. **झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–7(3) में नये परन्तुक का अंतःस्थापन –**

झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–7(3) में नया परन्तुक निम्नलिखित रुप से अंतःस्थापित किया जायेगा :–

''परन्तु प्रत्येक परिवहन वाहन (मालवाहक एवं मोटरकैब को छोड़कर) के मोटरवाहन कर एवं अतिरिक्त कर की गणना, व्हील बेस पर आधारित निम्नलिखित तालिका के अनुसार स्तम्भ – 2, 3, 4, 5 एवं 6 में अंकित सीटों की संख्या पर की जायेगी ।

व्हील बेस (इंच में)	**सीटों की न्यूनतम संख्या**				
	साधारण बस	**द्रुतगामी बस**	**सेमी डीलक्स बस**	**डीलक्स बस**	**ए.सी.डीलक्स बस**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
228	61	58	49	41	41
216	.55	52	44	37	37
210	54	51	43	36	36
206	53	50	42	35	35
205	53	50	42	35	35
204	53	50	42	35	35
203	53	50	42	35	35
190	48	46	38	32	32
180	40	38	32	27	27
179	38	36	30	25	25
176	37	35	30	25	25
167	33	31	26	22	22
166	33	31	26	22	22
165	33	31	26	22	22
163	32	30	26	21	21
143	28	27	22	19	19
142	25	24	20	17	17

यात्री सुविधा और बसों की आयु के अनुसार 'एक्सप्रेस बस', 'सेमी डीलक्स बस', 'डीलक्स बस' एवं 'ए0सी0 डीलक्स बस' के रूप में श्रेणीकृत किया जायेगा ।''

6. **झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–14 में नये परन्तुकों का अंतःस्थापन –**

झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–14 में दो नये परन्तुक निम्नलिखित तरह से अंतःस्थापित किये जायेंगे –

"परन्तु यह कि वैसे मोटरवाहन जो अन्य राज्य में निबंधित है तथा जिनके वाहन मालिक द्वारा झारखंड राज्य में परिचालन किया जा रहा है, यदि बिना वैध कर भुगतान/परमिट के पाये जाते हैं तो उक्त वाहनों के लिए परिचालन अवधि, पाये जाने की तिथि से पूर्व न्यूनतम 17 सप्ताह मानी जायेगी (चाहे उक्त वाहन का परिचालन उससे कम अवधि में हुआ हो) तथा उक्त वाहनों पर इस अधिनियम की धारा–7 की उपधारा–5 (अधिनियम की धारा–14 के साथ पठित) में निर्दिष्ट दरों के आधार पर न्यूनतम 17 सप्ताह के लिए आगणित होगी।"

"परन्तु यह कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों द्वारा वैध अस्थायी परमिट की अवधि समाप्ति के पश्चात् पकड़े गये वाहनों पर देय राशि की गणना न्यूनतम एक सप्ताह एवं अधिकतम एक माह के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति अवधि के पश्चात् की जायेगी।"

7. **झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा–21 में उपधारा–21(क) एवं 21(ख) का प्रतिस्थापन –**

झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–21 में उपधारा–21(क) एवं 21(ख) निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित की जायेगी –

"21(क) बकाया कर या अर्थ दंड की वसूली बकाया भू–राजस्व की वसूली की रीति से की जायेगी । जिस मोटर वाहन पर शास्ति या अर्थ दंड बकाया है, उस मोटर वाहन को या उसके उप–साधन को कुर्क किया जा सकता है या बेचा जा सकता है चाहे वह मोटर वाहन या उप–साधन कर, शास्ति या अर्थ दंड भुगतान के लिये जवाबदेह व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में हो अथवा नहीं ।

21(ख) हर वाहन मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि वैसे वाहन (वाणिज्यिक या निजी उपयोग हेतु) जिनपर वार्षिक कर देय है, प्रयुक्त के निबंधन अथवा परमिट हेतु आवेदन के साथ अपना बैंक खाता विवरणी एवं संबंधित बैंक से इस आशय का प्रमाण पत्र जमा करेंगे कि उनकी आर्थिक

स्थिति अच्छी है, यह कि कर भुगतान में गड़बड़ी की स्थिति में कर संग्रहण पदाधिकारी अथवा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा इसे जब्त किया जा सकेगा।"

8. **झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा 22 के उपधारा 22(2) के पश्चात् उपधारा–22(3) का अंतःस्थापन –**

झारखंड मोटरवाहन करारोपण अधिनियम 2001 की धारा–22 की उपधारा–22(2) के पश्चात् उपधारा 22(3) निम्नलिखित रुप से अंतःस्थापित की जायेगी।

"22(3) – वाहनों पर बकाया कर, दंड अथवा दोनों के भुगतान नहीं होने की स्थिति में जब्त किये गये वाहनों को तभी छोड़ा जायेगा जब उक्त वाहन पर बकाया सभी करों एवं दंड का भुगतान किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र वाहन मालिक द्वारा प्रस्तुत किया जाय ।

अनुसूची – I 'क'

प्रस्तावित एक मुस्त कर की राशि जो मोटर साइकिल/मोटर साइकिल एसेसरिज सहित/मोटर कार/जीप/ओमनी बस जो निजी रूप में झारखण्ड राज्य में प्रयोग किये जायेंगे से वसूलनीय होगी :–

क्र. सं.	वाहन की आयु	मोटर साइकिल एसेसरिज के साथ/उनके बिना		कार/जीप/ओमनी बस, निजी प्रयोगार्थ चालक सहित 10 बैठान क्षमता तक		
		90 कि. ग्रा. से कम	90 कि. ग्रा. से अधिक	मोटर कार बैठान क्षमता 3 से अधिक परन्तु 5 व्यक्तियों तक	मोटर कार बैठान क्षमता 5 से अधिक परन्तु 8 व्यक्तियों तक	मोटर कार बैठान क्षमता 8 से अधिक परन्तु 10 व्यक्तियों तक
क	निबंधन के समय	रू० 1600/- या वाहन की कीमत का 3% जो दोनों में अधिक हो	रू० 1800/- या वाहन की कीमत का 3% जो दोनों में अधिक हो	रू० 9000/- या वाहन की कीमत का 3% जो दोनों में अधिक हो	रू०20000/- या वाहन की कीमत का 4% प्रतिशत जो दोनों में अधिक हो	रू०25000/- या वाहन की कीमत का 5% प्रतिशत जो दोनों में अधिक हो

ख	यदि वाहन पूर्व से निबंधित हो तथा उसकी आयु निबंधन की तिथि से निम्नवत हो –	वाहन के मूल्य का	वाहन के मूल्य का	वाहन के मूल्य का	वाहन के मूल्य का	वाहन के मूल्य का
1	1 वर्ष से अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	2.8%	2.8%	2.8%	3.7%	4.7%
2	2 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	2.6%	2.6%	2.6%	3.4%	4.4%
3	3 वर्षसे अधिक लेकिन 4 वर्ष से कम	2.4%	2.4%	2.4%	3.1%	4.1%
4	4 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	2.2%	2.2%	2.2%	2.8%	3.8%
5	5 वर्ष से अधिक लेकिन 6 वर्ष से कम	2.0%	2.0%	2.0%	2.5%	3.5%
6	6 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम	1.8%	1.8%	1.8%	2.2%	3.2%
7	7 वर्ष से अधिक लेकिन 8 वर्ष से कम	1.6%	1.6%	1.6%	1.9%	2.9%
8	8 वर्ष से अधिक लेकिन 9 वर्ष से कम	1.4%	1.4%	1.4%	1.6%	2.6%
9	9 वर्ष से अधिक लेकिन 10 वर्ष से कम	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	2.3%
10	10 वर्ष से अधिक लेकिन 11 वर्ष से कम	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%
11	11 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से कम	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	1.7%
12	12 वर्ष से अधिक लेकिन 13 वर्ष से कम	0.6%	0.6%	0.6%	0.4%	1.4%
13	13 वर्ष से अधिक लेकिन 14 वर्ष से कम	0.4%	0.4%	0.4%	0.1%	1.1%
14	14 वर्ष से अधिक	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.8%

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड ।

अधिसूचना

9 मई, 2011

संख्या एल०जी०—01 / 2011—61 / लेज०—झारखण्ड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 मई, 2011 को अनुमत झारखण्ड मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम संख्या—7, 2011) का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

[JHARKHAND ACT 07, 2011]

Jharkhand Motor Vehicle Taxation (Amendment) ACT 2011
AN ACT

To amendment of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001

1. **Short Title, Extent and commencement -**
   i. This amendment ACT may be called the Jharkhand Motor Vehicles Taxation (Amendment) ACT, 2011.
   ii. It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
   iii. It shall come into force on such date as the State Government may by Notification in the official gazette appoint.

2. **Replacement of Sub-section -2(g) of Section 2 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.**

Sub-section 2(g) of the Section 2 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 will be replaced by following :-

" Personalised Vehicle means a Motor Cycle (including Moped, Scooter and Cycle etc.), Motor Car, Omni Bus or Station wagon (having the capacity of more than 4 but not exceeding 10 including driver) which are used solely for personal purposes"

3. **(A) Replacement of Sub-section - 3 of section-5 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.**

Sub-section 3 of section 5 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 will be replaced including proviso by following :-

"The State Government may by Notification from time to time increase the rate of tax specified in the schedule"

(B) Insertion of new sub-section - 5(4) in section - 5 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.

New sub-section - 5(4) will be inserted after sub-section-5(3) of section 5 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 as following :-

"5(4) In case of vehicle not having certificate of fitness and valid permit tax with penalty will be due from the date of default as if it were for vehicle having valid fitness and permit"

4. **Proposed schedule I part A will replace schedule I part A in sub-section 1 of section 7 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.**

5. **Insertion of new proviso in section 7(3) of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.**

A new proviso will be inserted in section -7(3) of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 as following :-

"Provided that for every transport vehicles (excluding motorcab and goods carriage) motor vehicle tax and additional motor vehicle tax will be calculated on the basis of number of seats as mentioned in column 2,3,4,5 and 6 of table given below on the criteria of wheel base :-

Wheel base (In-inch)	Minimum number of seats				
	Ordinary Bus	Express Bus	Semi-deluxe Bus	Deluxe Bus	A.C. deluxe Bus
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
228	61	58	49	41	41
216	55	52	44	37	37
210	54	51	43	36	36
206	53	50	42	35	35
205	53	50	42	35	35
204	53	50	42	35	35
203	53	50	42	35	35
190	48	46	38	32	32
180	40	38	32	27	27
179	38	36	30	25	25
176	37	35	30	25	25
167	33	31	26	22	22
166	33	31	26	22	22

165	33	31	26	22	22
163	32	30	26	21	21.
143	28	27	22	19	19
142	25	24	20	17	17

Buses will be classified as 'express bus' , 'semi-deluxe bus', 'deluxe bus', and 'A.C. deluxe bus' on basis of age of the vehicles and passenger amenities."

6. Insertion of new proviso in section 14 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.

Two new proviso will be inserted in section 14 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001 as following :-

" Provided that such motor vehicles which are registered in other States and being plied in the State of Jharkhand by owner of the vehicles, if they are found without valid tax payment/permit then period of operation for these vehicles will be deemed to be minimum of seventeen weeks prior to the date of being found (even if the vehicle has plied for a lesser period) and for such vehicles rates will be as given in sub-section 5 (read with section-14) of section - 7 of this Act for a minimum period of seventeen weeks."

" Provided that motor vehicles found after expiry of valid temporary permit, amount due will be calculated for minimum of one week and maximum of one month after the expiry of temporary permit."

7. Replacement of section 21 by sub-section 21(a) and 21(b)

New sub-section 21(a) and 21(b) will replace section 21 as following :-

"21(a) Arrear Tax or Penalty will be recovered as per the process of recovery of land revenue. Motor vehicle or part-thereof having arrear of tax or penalty can be sold or auctioned irrespective of whether that vehicle is within or out of control of the person responsible for payment of arrear tax and penalty."

"21(b) Every owner of vehicle (commercial or private) paying annual tax will be required to give the details of his Bank Account and a Certificate of being in good financial condition from concerned bank with the application for registration or permit for such vehicles, in the case of default in tax payment the vehicle may be seized by registering authority or collecting authority.

8. Insertion of sub-section 22(3) after sub-section 22(2) of section 22 of Jharkhand Motor Vehicles Taxation Act, 2001.

"22(3) seized vehicles having tax or penalty arrear will be released only after certificate of having paid all the penalty and taxes is produced by the owner of the vehicle."

Schedule - 1 Part (A)

Proposed one time tax for Motor cycle/Motor cycle with accessories/ Motorcar /Jeep/ Omnibus being used as personalised vehicle in the State of Jharkhand .

Sl.	Age of Vehicle	Motor cycle with accessories/without accessories		Motorcar/Jeep/Omnibus being used as personalised vehicle seating capacity upto 10 including driver		
		Below 90 K.g.	Above 90 K.g.	Motorcar seating capacity more than 3 person not more than 5 persons	Motorcar seating capacity more than 5 person not more than 8 persons	Motorcar seating capacity more than 8 person not more than 10 persons
a	**At the time of Registration**	Rs. 1600/- or 3% of the Cost of the vehicle which-ever is more	Rs. 1800/- or 3% of the Cost of the vehicle which-ever is more	Rs. 9000/- or 3% of the Cost of the vehicle which-ever is more	Rs. 20000/- or 4% of the Cost of the vehicle whichever is more	Rs. 25000/- or 5% of the Cost of the vehicle whichever is more
b	**If the vehicle is already registered and its date is as below :-**	of the cost of the vehicle	of the cost of the vehicle	of the cost of the vehicle	of the cost of the vehicle	of the cost of the vehicle

1	More than 1 year not more than 2 year	2.8%	2.8%	2.8%	3.7%	4.7%
2	More than 2 year not more than 3 year	2.6%	2.6%	2.6%	3.4%	4.4%
3	More than 3 year not more than 4 year	2.4%	2.4%	2.4%	3.1%	4.1%
4	More than 4 year not more than 5 year	2.2%	2.2%	2.2%	2.8%	3.8%
5	More than 5 year not more than 6 year	2.0%	2.0%	2.0%	2.5%	3.5%
6	More than 6 year not more than 7 year	1.8%	1.8%	1.8%	2.2%	3.2%
7	More than 7 year not more than 8 year	1.6%	1.6%	1.6%	1.9%	2.9%
8	More than 8 year not more than 9 year	1.4%	1.4%	1.4%	1.6%	2.6%
9	More than 9 year not more than 10 year	1.2%	1.2%	1.2%	1.3%	2.3%
10	More than 10 year not more than 11 year	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	2.0%
11	More than 11 year not more than 12 year	0.8%	0.8%	0.8%	0.7%	1.7%
12	More than 12 year not more than 13 year	0.6%	0.6%	0.6%	0.4%	1.4%
13	More than 13 year not more than 14 year	0.4%	0.4%	0.4%	0.1%	1.1%
14	Above 14 years	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.8%

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पंकज श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव,
सरकार के सचिव–सह–विधि परामर्शी
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 325--150+400 ।